संख्या-184/18-4-2025-11(बजट)/10

प्रेषक,

दयाराम यादव
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0,
लखनऊ ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के तहत **'निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना'** योजना के अंतर्गत विभिन्न मदवार प्राविधिानित कुल धनराशि रू0 51.50 लाख के सापेक्ष विभिन्न मदवार परिलक्षित हो रही बचतों की कुल धनराशि रू0 5.90 लाख का पुनर्विनियोग **उक्त योजना के ही मद संख्या-46 कम्प्यूटर हार्ड / साफ्टवेयर** में करते हुये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-721/4-लेखा/बजट/2024-25, दिनांक 06.02.2025 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-003 के अंतर्गत **'निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना'** योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक '2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-07-निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना' (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में-2851-00-800-00-07-00) के तहत विभिन्न मदवार कुल प्राविधानित धनराशि रू0 51.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-301/ 18-4-2024-11(बजट)/10,दिनांक 02.05.2024 द्वारा विभिन्न

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मदवार स्वीकृत कुल धनराशि रू0 12.88 लाख, द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-465/ 18-4-2024-11(बजट)/10,दिनांक 10.07.2024 द्वारा विभिन्न मदवार स्वीकृत कुल धनराशि रू0 19.31 लाख एवं तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-979/ 18-4-2024-11(बजट)/10, दिनांक 06.01.2025 द्वारा विभिन्न मदवार स्वीकृत कुल धनराशि रू0 13.41 लाख अर्थात अब तक मदवार कुल धनराशि रू0 45.60 लाख को प्राविधानित धनराशि में से घटाने के फलस्वरूप प्रश्नगत योजना के ही अंतर्गत निम्नवत् मदवार बचतों की कुल धनराशि रू0 5.90 लाख परिलक्षित हो रही है :-

(धनराशि रूपये लाख में)

| मद | | प्राविधानित स्वीकृत | मदवार अवमुक्त धनराशि | अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| सं० | नाम | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | मजदूरी | 12.00 | 9.58 | 2.42 |
| 13 | टेलीफोन पर व्यय | 0.50 | 0.31 | 0.19 |
| 15 | गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल | 5.00 | 3.40 | 1.60 |
| 29 | अनुक्षण | 1.00 | 0.99 | 0.01 |
| 58 | आउट सोर्सिंग सेवाये | 10.00 | 8.32 | 1.68 |

2- प्रश्नगत योजना के अंतर्गत उक्त मदों हेतु अब तक स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष के अवशेष मासों के व्यय वहन हेतु पर्याप्त है अतएव उक्त मदवार बचतों की कुल धनराशि रू0 5.90 लाख को **'निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना'** योजना के ही **मद संख्या-46 कम्प्यूटर हार्ड / साफ्टवेयर** में पुनर्विनियोजित करते हुये एन0आई0सी0 के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के वेबसाइट के विकसित किये जाने के निमित्त वांछित उपकरण क्रय करने के निमित्त धनराशि रू0 5.90 लाख (रूपये पांच लाख नब्बे हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए व्ययार्थ धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 5.90 लाख का सदुपयोग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था/सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/सुसंगत वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोगोपरांत तद्नुसार सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण एक माह के अंदर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस शासनादेश की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त पुनर्विनियोग से व्यवस्थित धनराशि के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित देयताओं के सम्बन्ध में संगत नीति/शासनादेशों के अनुसार देय हों, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) पुनर्विनियोग से व्यवस्थित प्रश्नगत धनराशि हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। राजकोष से आहरित की जाने वाली धनराशि को बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में पात्र लाभार्थियों/संस्थाओं को सीधे भुगतान किया जायेगा।

(3) उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा एवं यदि इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं हो पाती है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31-3-2025 तक वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 / बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

(5) लाभार्थी/इकाइयों को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्गत किये गए शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा तत्संबंधी समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों/दिशा-निर्देशों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा व स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता एवं आंकडों की शुद्धता के साथ ही बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिन मदों से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी तथा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कर व्यय की जायेगी तथा जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा एवं प्रश्नगत प्रकरण में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देश प्रभावित न हों।

(10) उपर्युक्त पुनर्विनियोग की गई धनराशि रू0 5.90 लाख मात्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत **'निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना'** योजना के लेखाशीर्षक '2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-07-निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना' (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में-2851-00-800-00-07-00) के **मद संख्या-46 कम्प्यूटर हार्ड / साफ्टवेयर** में डाली जायेगी तथा प्रश्नगत योजना/लेखाशीर्षक के अंतर्गत उक्त प्रस्तर-1 की तालिका में अंकित मदों हेतु मदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परिलक्षित हो रही बचतों की कुल मदवार अवशेष धनराशि से पुनर्विनियोग द्वारा इसे वहन किया जायेगा। पुनर्विनियोग प्रपत्र संलग्न है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आर.ई.संख्या- **बजट-1-713, दिनाँक 21-03-2025** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

संख्या- (1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ।

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0,प्रयागराज/लखनऊ।

4- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0प्र0 प्रयागराज/निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय-125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर /संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ/वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर/लखनऊ।

6- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ ।

7- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।

**8**- वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1

**9-** नियोजन अनुभाग-1व 4/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3

10- उप सचिव (श्री पुष्पेन्द्र सिंह), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

फार्म बी0 एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या-003 उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन)

वित्तीय वर्ष- 2024-25 अनुदान सं0-003 (धनराशि हजार रू0 में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग(2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग<br>800-अन्य व्यय<br>07-निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना<br>(2851-00-800-00-07-00)<br>**मद संख्या**<br>02-मजदूरी<br>13-टेलीफोन पर व्यय<br>15-वाहनों का अनुरक्षण<br>29-अनुरक्षण<br>58-आउटसोर्सिंग सेवायें | <br><br><br>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | धनराशि | (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग 800-अन्य व्यय 07-निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना (2851-00-800-00-07-00) **<u>मद संख्या</u>** 46-कम्प्यूटर हार्ड/ साफ्टवेयर | 150.00 | 740.00 | 590.00 | 590.00 | 740.00 |
| योग | 150.00 | 740.00 | 590.00 | 590.00 | 740.00 |

**स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है -**

वित्तीय वर्ष 2024-25 में संबंधित मदों में वास्तविक देयों के आधार पर भुगतान कराये जाने के कारण बचत की सम्भावना है।

**<u>मांग का औचित्य:</u>**- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की वेब साईट हेतु **'जेम'** के माध्यम से न्यूनतम दर की चयनित संस्था / सेवा प्रदाता से सेवायें प्राप्त की जा रही हैं। सेवा प्रदाता द्वारा तैयार किये गये पोर्टल के अवलोकनोपरान्त पोर्टल को एन आई सी के माध्यम से विकसित कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, जिसके अनुपालन में एन0आई0सी0 से सम्पर्क करने पर एन आई सी द्वारा पोर्टल के विकसित किये जाने हेतु समय के साथ साथ आधुनिक एवं उच्च क्षमता के 02 लैपटाप तथा 02 कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रयोजन के निमित्त धनराशि रू0 5.90 लाख की आश्यकता के दृष्गित *कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर मद में कम पड़ रही धनराशि के भुगतानार्थ पुनर्विनियोग कराया जा रहा है।*

*प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।*

संख्या-आर0ई0 संख्या-बजट-1-713, दिनांक 21-03-2025

**सेवा में,**

**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**उ0प्र0 प्रयागराज।**

**हस्ताक्षर .....**
**नाम व पदनाम- दयाराम यादव, अनु सचिव**
**प्रशासकीय विभाग -सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम**
**तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।**

**हस्ताक्षर .....**
**नाम व पदनाम - अनुराग गुप्ता,विशेष सचिव**
**वित्त विभाग(वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1)**

**संख्या-184 (1)/18-4-2025,दिनांक 21 मार्च,2025**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निर्यात आयुक्त/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,कानपुर।
3- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल।

**हस्ताक्षर .....**
**नाम व पदनाम-दयाराम यादव,अनु सचिव**
**प्रशासकीय विभाग -सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम**
**तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।